डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस
उनवान

शांति पत्नि रघुनाथ जाति मीना निवासी गोरडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादीया)

बनाम

1. भगवान सहाय पुत्र मीठ्या मीना।
2. सुगन पुत्र मीठ्या मीना।
3. रमेश पुत्र मीठ्या मीना।
4. मुकेशी पत्नि भगवानसहाय मीना
5. भूरी पत्नि सुगन
6. महेन्द्र पुत्र भगवान सहाय
7. हरकेश पुत्र रामधन
8. रामेश्वर पुत्र रामधन
9. सुरेन्द्र पुत्र रामधन
10. पप्पू पुत्र रामधन
    निवासीयान गोरडा तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
11. तहसीलदार टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत इस्तकरारहक, तकास्मा स्थाई निषेधाज्ञा

मु0न0 114/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट, मिनकानिब गुदई रूबरू, ... हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

अतः ग्राम गोरडा की आराजी ख0न0 542/1 रकवा 0.03 का शांति पत्नि रघुनाथ जाति मीना निवासी गोरडा एवं ख0न0 542 रकवा 0.15 है0 का भगवानसहाय, रमेश, सुगन पि0 मीठया जाति मीना हि.ब. निवासी गोरडा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम गोरडा की आराजी ख0न0 543/0.12, 544/0.25 एवं 542/1 रकवा 0.03 है0 मे वादीया के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निज....................मुबलिंग..........................बाबत........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह...................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 23.12.2019 को जारी की गई।

दस्तखत.......... 23/12/19
ओहदा.......... उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 114 / 18

दिनांकः– 11.9.2018

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

शांति पत्नि रघुनाथ जाति मीना निवासी गोरडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

बनाम

1. भगवान सहाय पुत्र मीठ्या मीना।
2. सुगन पुत्र मीठ्या मीना।
3. रमेश पुत्र मीठ्या मीना।
4. मुकेशी पत्नि भगवानसहाय मीना
5. भूरी पत्नि सुगन
6. महेन्द्र पुत्र भगवान सहाय
7. हरकेश पुत्र रामधन
8. रामेश्वर पुत्र रामधन
9. सुरेन्द्र पुत्र रामधन
10. पप्पू पुत्र रामधन
    निवासीयान गोरडा तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
11. तहसीलदार टोडाभीम।

दावा बावत इस्तकरारहक, तकास्मा स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट वादीया

निर्णय

दिनांकः–23.12.19

संक्षेप मे वाद का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गोरडा की आराजी ख0न0 543 / 0.12, 544 / 0.25 सम्पूर्ण भाग एवं ख0न0 542 / 0.18 का 3 / 18 हिस्सा अर्थात 0.03 है0 कुल भूमि 0.40 है0 प्रतिवादी न0 1 ता 3 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है। नामांतकरण संख्या 750 दिनांक 20.7.17 से राजस्व रिकार्ड मे अंकन भी हो गया है। क्रय की गई जमीन पर वादीया का कब्जा काश्त है प्रतिवादीगण का कोई संबध या लेना–देना नही है। प्रतिवादीगण जमीन को जबरदस्ती छीनने की कोशिश करते है एवं खेत मे जोतने बोने मे परेशानी करते है इसलिये विधिवत बटवारा कराना आवश्यक हुआ है।

बॉका दिनांक 1.7.18 का है कि वादीया अपनी उक्त आराजीयात पर सूल बबूल साफ कर रही थी कि अचानक प्रतिवादीगण 1 ता 10 हाथो मे लाठी डन्डा लेकर आ गये ओर कहने लगे कि हम तुम्हे खेत नही बोने देगे। वादीया ने उन्हे समझाया किन्तु वह नही माने। यदि प्रतिवादीगण अपनी इस कुचेष्ठा मे सफल हो गये तो वादीया को अपूर्तिनीय क्षति होगी। इस कारण तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर घोषणा की जावे कि आराजी ख0न0 543 रकवा 0.12, 544 रकवा 0.25, कुल किता 2 कुल रकवा 0.37 है0 तथा ख0न0 542 रकवा 0.18 है0 का 3 / 18 स्थित ग्राम गोरडा तहसील टोडाभीम जिला करौली मे मौका कमीश्नर नियुक्त कर बटवारा स्कीम तलब फरमाई जावे एवं वादीया के हिस्से मे कब्जे

उपजिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। वादीया को काश्त करने देवे, वादिया की आराजी को नही हडपे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न 11 बाबजूद सूचना उपस्थित नही आये इसलिये इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 1 ता 10 की ओर से श्री सुरेशचन्द शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुये। इनकी ओर से पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नही किया गया और दिनांक 13.11.19 को प्रतिवादी न0 1 ता 10 एवं उनके वकील मेसे किसी के भी उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादपत्र वाद सुनवाई प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमीश्नर नियुक्त कर बटवारा स्कीम प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का वादी वकील ने अवलोकन कर मुताबिक बटवारा स्कीम दावा फाईनल डिक्री करने का कथन किया।

वादी वकील की बहस पर मनन करते हुये दस्तावेजो एवं बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। बटवारा स्कीम के अनुसार दावा फाईनल डिक्री किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः ग्राम गोरडा की आराजी ख0न0 542/1 रकवा 0.03 का शांति पत्नि रधुनाथ जाति मीना निवासी गोरडा एवं ख0न0 542 रकवा 0.15 है0 का भगवानसहाय, रमेश, सुगन पि0 मीठया जाति मीना हि.ब. निवासी गोरडा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम गोरडा की आराजी ख0न0 543/0.12, 544/0.25 एवं 542/1 रकवा 0.03 है0 मे वादीया के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

23/12/19

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलेक्टर
उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.01.02 12:45:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: